



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2015/श्रावण 29, 1937

No. 283]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2015/SRAVANA 29, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

(भारतीय स्टेट बैंक)

अधिसूचना

मुंबई, 20 अगस्त, 2015

**सं.सीडीओ/पीएम/एस एम/16/एसपीएल/1042.**—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (वर्ष 1955 का 23वां) की धारा 50 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के साथ उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि नियमों के प्रतिस्थापन में, सिवाय ऐसे प्रतिस्थापन से पूर्व जोड़ी गई या हटाई गई बातों के, भारतीय स्टेट बैंक का केंद्रीय बोर्ड भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके और केंद्रीय सरकार की पिछली संस्वीकृति से, एतद्वारा बैंक के कर्मचारियों के फायदे के लिए भविष्य निधि की स्थापना एवं रखरखाव हेतु निम्नलिखित विनियम बना रहा है, अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**

- (1) इन विनियमों को भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 2015 कहा जाएगा।
- (2) अन्यथा की गई व्यवस्था को छोड़कर, ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

**2. परिभाषा** – इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो तब तक

- (क) "अधिनियम" से अभिप्राय भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (वर्ष 1955 का 23वां) से है;
- (ख) "बैंक" से अभिप्राय भारतीय स्टेट बैंक से है;
- (ग) "न्यासी बोर्ड" से अभिप्राय विनियम 3 में संदर्भित न्यास बोर्ड से है;
- (घ) "फॉर्म" से अभिप्राय विनियमों के साथ संलग्न किए गए फॉर्म से है;

(ड) "निधि" से अभिप्राय भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि से है, जिसकी स्थापना ऐसे प्रत्येक कर्मचारी जो एक सदस्य है, को, वह राशि उपलब्ध कराने के लिए की गई है जो इन विनियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी।

(च) "सदस्य" से अभिप्राय बैंक की सेवा में रहने वाले ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस निधि की सदस्यता दिलाई गई है;

(छ) "भविष्य निधि" से अभिप्राय उस राशि उपलब्ध से है जो बैंक में सदस्य की सेवा समाप्त होने पर इन विनियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी।

(ज) "वेतन" से अभिप्राय वास्तविक या मूल वेतन और वैयक्तिक एवं कार्यकारी भत्तों, यदि कोई हों, से है परंतु इसमें अन्य कोई भत्ते, या अन्य कोई बोनस, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक या लाभ शामिल नहीं होते हैं;

परंतु यह कि 1 जनवरी, 1962 से 31 जुलाई, 1966 की अवधि के संबंध में, वेतन से अभिप्राय -

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के अवार्ड के अंतर्गत आने वाले या उसके आधार पर वेतन प्रदत्त कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के मामले में वास्तविक या पूर्ण वैयक्तिक एवं कार्यकारी भत्तों से युक्त मूल वेतन से होगा।

(ख) अधीनस्थ स्टाफ को छोड़कर, उन कर्मचारियों जो राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के अवार्ड के अंतर्गत आते हैं अथवा जिन्हें अवार्ड के आधार पर वेतन दिया जाता है, के मामले में प्रदान किए गए मूल वेतन के अस्सी प्रतिशत और पूर्ण वैयक्तिक एवं कार्यकारी भत्तों से है, तथा

(ग) इस अवार्ड में शामिल किए गए या अवार्ड के आधार पर वेतन प्रदत्त किए गए अधीनस्थ कर्मचारियों के मामले में, प्रदान किए गए मूल वेतन के पचहत्तर प्रतिशत से है।

परंतु यह और कि दिनांक 01 सितंबर 1978 से, "वेतन" या वास्तविक वेतन में सदस्य की अन्य परिलब्धियां या उसका ऐसा भाग भी शामिल होता है, जो इस समय सदस्य के पद पर लागू सेवा नियमों के अंतर्गत अधिवार्षिकी फायदे के रूप में बैंक द्वारा अनुमत किया गया हो।

(1) "सेवा" से अभिप्राय बैंक में निरंतर सेवा से है और एक ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसे भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 के अंतर्गत अन्य बैंक के व्यवसाय के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, या अन्यथा या बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 के अंतर्गत इस बैंक के साथ किसी अन्य बैंक के समामेलन होने के परिणामस्वरूप, या अन्यथा ऐसे बैंक के साथ की उसकी निरंतर सेवा को इस बैंक में निरंतर सेवा समझा जाएगा, जिसका व्यवसाय इस प्रकार अधिगृहित किया गया है या जिसे इस प्रकार समामेलित किया गया है।

(2) अन्य ऐसे सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जिनका उपयोग इन विनियमों में किया गया है परंतु अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम, 1925 में उनकी परिभाषा नहीं दी गई है, का अर्थ वही रहेगा जो इन अधिनियमों में उनके लिए क्रमशः निर्धारित किया गया है।

3. **न्यासी बोर्ड और उसकी बैठकें-** (1) बैंक के निदेशक और निदेशकों द्वारा मनोनीत इस निधि के चार सदस्य इस समय इस निधि के न्यासी होंगे और ऐसे न्यासियों की प्रत्येक बैठक में, बैंक के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में किसी एक निदेशक को बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा।

(2) उप विनियम (1) में जिन चार सदस्यों का उल्लेख है, उनमें से प्रत्येक और सभी, विभिन्न स्थानीय प्रधान कार्यालयों के अंतर्गत सेवारत बैंक के कर्मचारी होंगे।

4. **बैठक के लिए कोरम:** व्यवसाय चलाने हेतु बोर्ड का गठन करने के लिए कम से कम पांच न्यासी, जिनमें से दो बैंक के कार्यपालक अधिकारी हो, की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(2) प्रत्येक न्यासी के पास एक मत रहेगा और समान विभाजन के सभी मामलों में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत रहेगा।

5. **इस निधि की समितियाँ** – (1) विनियम 12 से 20 तक और विनियम 31 के अंतर्गत प्रत्येक अधिकार एवं विवेकाधिकार प्राप्त न्यासियों की ओर से कार्य करने सहित निधि से संबंधित कोई भी सामान्य कामकाज करने के लिए न्यासी अपने में से किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं, जो बैंक के कार्यपालक अधिकारी होंगे।

(2) सदस्यों को भुगतान संस्वीकृत करने सहित इस निधि का अन्य सामान्य कामकाज करने के लिए न्यासी अपने में से किसी एक को, समिति के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जो बैंक के एक कार्यपालक अधिकारी होंगे।

(3) तीन न्यासियों से इस समिति का कोरम पूरा होगा।

6. **निधि का लेखा** – 31 मार्च की स्थिति के अनुसार निधि के लेखे वार्षिक आधार पर तैयार किए जाएंगे और उस तिथि तक के कार्यों के लेखा-परीक्षित विवरण को प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक आयोजित की जाने वाली न्यासियों की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे विवरण की एक प्रति प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक वर्ष प्रेषित की जाएगी।

7. **पात्रता** – (1) उप विनियम (2) में उल्लेख किए गए को छोड़कर, ऐसे स्थायी अंशकालीन कर्मचारी जिन्हें बैंक की अपेक्षानुसार सेवा के दौरान एक सप्ताह में छह घंटों से अधिक समय के लिए कार्य करना होता हो, सहित प्रत्येक नियमित कर्मचारी अपनी सेवा के निबंधनों एवं शर्तों के अंतर्गत अंशदायी भविष्य निधि फायदों के लिए पात्र है और निम्नांकित तिथि से इस निधि के सदस्य बन जाएंगे –

(क) वह तिथि, जब बैंक की सेवा में उसे स्थायी किया जाता हो, या

(ख) वह तिथि जब उसे अपनी सेवा के निबंधनों एवं शर्तों के अंतर्गत इस निधि का सदस्य बनना आवश्यक हो।

(2) विनियम 35 में उल्लेख किए गए को छोड़कर, बैंक के वे कर्मचारी जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं या जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में सेवा के लिए रखे गए हों और ऐसे देश में सेवा के लिए नियुक्त किए गए हों, इस निधि की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होंगे।

8. **अंशदान**-(1) प्रत्येक सदस्य इस निधि के लिए प्रति माह अपने वेतन के 8.33 प्रतिशत के बराबर की राशि अंशदान के रूप में देगा।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित अंशदानों को भविष्य निधि की बहियों में खोले गए सदस्य के व्यक्तिगत खातों में जमा किया जाएगा और सदस्यों के अंशदान राशि के बराबर की राशि बैंक द्वारा प्रत्येक महीने दी जाएगी और इसे प्रत्येक सदस्य के खाते में जमा किया जाएगा।

(3) उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) के अनुसार एक सदस्य के या बैंक के अंशदान की राशि में यदि पैसे हों, तो उसे अगले उच्चतर रूपए तक पूर्णांकित किया जाएगा।

9. **क. अधिग्रहण अथवा समामेलन की स्थिति में अंशदान-**

(1) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 के अंतर्गत बैंक द्वारा अन्य किसी बैंक के व्यवसाय का अधिग्रहण किए जाने या बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 के अंतर्गत अन्य किसी बैंक का बैंक के साथ समामेलन होने या अन्यथा और ऐसे अधिग्रहण या समामेलन के परिणामस्वरूप, बैंक, ऐसे अन्य बैंक के कर्मचारियों को नियोजित कर रहा हो (यहाँ इसके बाद "उक्त कर्मचारी" कहा जाएगा), तो "कर्मचारी का अंशदान", "कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज", "नियोजक का अंशदान" और "नियोजक के अंशदान पर ब्याज" नामक शीर्षकों के अंतर्गत (या इस आशय वाले शीर्षकों के अंतर्गत) उक्त कर्मचारी के खाते में जमा पड़ी हुई राशि अन्य बैंक की भविष्य निधि के न्यासियों द्वारा उन्हें अंतरित किए जाने पर न्यासी उसे प्राप्त करेंगे और इस प्रकार प्राप्त की गई राशि को इस निधि में खोले गए उक्त कर्मचारियों के खातों के संबंधित शीर्षकों के अंतर्गत जमा किया जाएगा।

अन्य बैंक के भविष्य निधि में कर्मचारियों का कोई भी अंशदान न होने पर निधि के अंतर्गत खोले गए अथवा खोले जाने वाले उक्त कर्मचारियों के खातों में नियोजक के अंशदान शीर्षक के अंतर्गत कोई भी राशि जमा करने के लिए न्यास अथवा बैंक की कोई बाध्यता नहीं होगी।

(2) उसके बाद इस प्रकार जमा की गई राशि और उस पर ब्याज तथा उक्त कर्मचारियों के संबंध में बैंक का अंशदान और उस पर ब्याज को इन विनियमों के अनुसार उक्त कर्मचारियों का अंशदान मानकर उसका निपटान किया जाएगा तथा इन विनियमों के अनुसार दिए गए अधिकारों को छोड़कर, इस प्रकार जमा की गई राशि के संबंध में उक्त कर्मचारी बैंक या न्यासियों के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकता।

- ख. किसी अन्य प्रतिष्ठान की सेवा छोड़कर बैंक की सेवा में आने की स्थिति में-
- (1) जब कोई कर्मचारी किसी अन्य प्रतिष्ठान अथवा संस्था की सेवा छोड़कर बैंक की सेवा में आता है तथा जिसका बैंक की भविष्य निधि का सदस्य बनना अपेक्षित हो, तो कर्मचारी के अनुरोध पर तथा उसके पूर्व नियोक्ता की भविष्य निधि संबंधी विनियमों के अंतर्गत अनुमत होने पर, न्यासी उसके पूर्व नियोक्ता की भविष्य निधि से देय तथा उक्त नियोक्ता द्वारा बैंक की भविष्य निधि में सीधे अंतरण किए जाने पर राशि प्राप्त करेंगे।
  - (2) इस तरह प्राप्त की गई राशियों को भविष्य निधि में खोले जाने वाले उक्त कर्मचारी के खाते को कर्मचारी अंशदान (अथवा इस आशय के शीर्षक के अंतर्गत) शीर्षक के अंतर्गत जमा किया जाएगा।
  - (3) उसके बाद इस प्रकार जमा की गई राशि को इन विनियमों के अनुसार उक्त कर्मचारियों का अंशदान मानकर उसका निपटान किया जाएगा, बशर्ते कि उपर्युक्तानुसार जमा की गई राशियों की बराबर राशि अंशदान देने के लिए बैंक बाध्य नहीं होगा।
  - (4) उक्त कर्मचारी उक्त राशियों के संबंध में केवल इन विनियमों के अंतर्गत ही बैंक अथवा न्यासियों के विरुद्ध कोई दावा कर सकता है, अन्यथा नहीं।
  - (5) वह सदस्य जिसे उप-विनियम क एवं उप-विनियम ख के अंतर्गत निधि की सदस्यता दी गई है, द्वारा पूर्व प्रतिष्ठान अथवा संस्था में पूरी की गई सेवा को केवल विनियम 16 के प्रयोजन से बैंक की सेवा माना जाएगा और अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं।
- ग. बैंक का कर्मचारी बैंक की सेवा छोड़कर अन्य किसी संस्था की सेवा में शामिल होने वाले मामले में -
- जब कोई कर्मचारी बैंक की सेवा छोड़कर किसी अन्य प्रतिष्ठान/संस्था की सेवा में आता है, तो कर्मचारी के लिखित अनुरोध पर तथा उसके नए नियोक्ता की भविष्य निधि संबंधी विनियमों के अंतर्गत अनुमत होने पर, न्यासी बैंक की भविष्य निधि से उसे देय राशि उसके नए नियोक्ता की भविष्य निधि में सीधे अंतरण कर सकते हैं, पर ऐसा अंतरण विनियम 23 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
10. **अतिरिक्त अंशदान** - (1) उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अध्यक्षीन और 1 अप्रैल, 1966 से, इस निधि का कोई भी सदस्य, अपने विकल्प पर, इस निधि में विनियम 8 के उप-नियम (1) के अनुसार देय अंशदान के अलावा अतिरिक्त अंशदान कर सकता है, परंतु ऐसे राशि उप-नियम (1) के अनुसार उसके द्वारा अंशदान की गई राशि दोनों मिलकर उसके वेतन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
  - (2) जो सदस्य उप-विनियम (1) के अनुसार इस निधि में अंशदान करने के इच्छुक हों, वे उस अधिकारी जो उन्हें वेतन अदा करने के लिए जवाबदार है, को लिखित में वेतन के प्रतिशत के रूप में उस राशि जिसका अंशदान देने के लिए वे इच्छुक हो, की दर सूचित करेंगे तथा ऐसी दर किसी भी समय उसके वेतन के 5 प्रतिशत से कम नहीं होगी और एक बार निर्धारित होने के बाद ऐसे अधिकारी को उसके द्वारा लिखित में सूचना देने के बाद ही उस दर में परिवर्तन किया जा सकता है और ऐसी सूचना अप्रैल महीने के वेतन भुगतान तिथि से एक महीने पहले दी जानी चाहिए।
  - (3) इस नियम के अंतर्गत किए गए अंशदान को भी इस निधि की बहियों में सदस्यों के खातों में जमा किया जाएगा, परंतु उसके बराबर या उसके संबंध में कोई अंशदान बैंक द्वारा अदा नहीं किया जाएगा।
  - (4) उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) के अनुसार, एक सदस्य या बैंक के अंशदान की राशि, यदि पैसों में आती है, तो उसे उच्चतर रूप में पूर्णांकित किया जाएगा। यह प्रावधान 1 अप्रैल, 1988 से लागू है।
11. **निधि का निवेश** - (1) विनियम 12, 13, 14, 15, 16 और 31 के अंतर्गत आहरित राशि को छोड़कर, इस निधि की सभी राशियां बैंक में "भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासी" के नाम पर खुले हुए खाते में जमा की जाएंगी और उन पर उप-विनियम (2) में दी गई उपयुक्त दर से बैंक द्वारा अर्ध-वार्षिक आधार पर ब्याज अदा किया जाएगा या निधि की उक्त राशि या उसके किसी भाग को आय-कर अधिनियम, 1961 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान की गई निधि राशियों के निवेश के संबंध में आय-कर नियम, 1962 के नियम 67 के अंतर्गत आने वाली किसी भी प्रतिभूति में न्यासियों द्वारा निवेश की जाएगी।

(2) प्रत्येक सदस्य को वर्ष की समाप्ति पर मार्च के प्रत्येक 31वें दिन कार्यकारिणी समिति द्वारा वार्षिक रूप से निर्धारित दर पर ब्याज अनुमत किया जाएगा, पर इस प्रकार से निर्धारित दर निम्नलिखित से किसी भी स्थिति में कम नहीं होगी -

(क) बैंक द्वारा पिछले वर्ष (मार्च के 31वें दिन समाप्त वर्ष से पहले के वर्ष) में बारह महीनों की नई जमा राशियों के लिए उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ब्याज से ऊपर या नीचे समायोजित करने के बाद) से डेढ़ प्रतिशत से अधिक; या

(ख) तीन प्रतिशत वार्षिक प्रत्येक सदस्य की जो राशि न्यासियों के पास खातों में जमा है, उस पर अर्ध-वार्षिक दर पर ब्याज जमा किया जाएगा।

**12. अग्रिम -** (1) न्यासी अपने पूर्ण विवेक और सदस्य के लिखित अनुरोध पर सदस्य के अंशदान की वह पूर्ण राशि अथवा उसका किसी हिस्सा जो जमा के रूप में उपलब्ध है, उसके द्वारा जीवन की रक्षा हेतु लिए गए बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी (या पॉलिसियों) के प्रीमियम का भुगतान करने हेतु अग्रिम के रूप में दे सकते हैं। पर उस प्रत्येक पॉलिसी जिस पर प्रीमियम अदा किया जाएगा, का समनुदेशन न्यासियों अथवा न्यासी के नामिती के रूप में बैंक को किया जाएगा जो भारग्रस्तता से मुक्त हो और यह न्यासियों को ऐसे अग्रिमों की चुकौती करने के लिए जमानत के रूप में हो तथा यह कि पॉलिसी जारी करने वाली बीमा कंपनी उनके द्वारा विधिवत अनुमोदित हो।

(2) न्यासी अपने पूर्ण विवेक और सदस्य के लिखित अनुरोध पर निधि के अंतर्गत उसके नाम पर जमा के रूप में उपलब्ध राशि में से उसे अग्रिम राशि देंगे, पर इसके लिए सदस्य को निम्नलिखित शर्तें पूरा करना होगा:-

(क) कोई भी अग्रिम तब संस्वीकृत किया जाएगा, जब न्यासी इस बात से संतुष्ट हो कि अग्रिम देना सदस्य की आर्थिक स्थिति के अनुसार उचित हो और उसका उपयोग निम्नलिखित में से किसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो :-

(i) सदस्य या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की गंभीर या लंबी बीमारी के संबंध में किए जाने वाले खर्चों का भुगतान करने के लिए;

(ii) उस पैमाने पर जो सदस्य की स्थिति के अनुरूप हो, सदस्य द्वारा प्रचलित प्रथाओं के अनुसार विवाहों, अंतिम संस्कारों या किन्हीं अन्य समारोहों के संबंध में होने वाले अनिवार्य खर्चों का भुगतान करने के लिए;

(iii) किसी ऐसे अन्य खर्च या देयता जो न्यासियों की राय में असाधारण हों और उन्हें पूरा करना सदस्य की सामान्य क्षमता के बाहर हो, को पूरा करने के लिए;

(ख) विशेष कारणों को छोड़कर अग्रिम की राशि इससे अधिक नहीं होगी -

(i) सदस्य के तीन माह के वेतन या निधि में सदस्य के नाम पर जमा के रूप में उपलब्ध स्वयं के अंशदान की आधी राशि और उस पर की ब्याज, इनमें से जो कोई कम हो, से अधिक नहीं होगी; या

(ii) तब तक मंजूर नहीं की जाएगी, जब तक कि ब्याज सहित पिछले सभी अग्रिमों की राशि की अंतिम चुकौती के बाद कम से कम बारह मास की अवधि न बीत चुकी हो।

**13. अग्रिमों की वसूली -** (1) सदस्य से किसी अग्रिम राशि की वसूली उतनी संख्या के समान मासिक किस्तों में की जाएगी, जिसका निर्धारण न्यासी करेंगे। किंतु इन किस्तों की संख्या तब तक बारह से कम या किसी भी स्थिति में चौबीस से अधिक नहीं होगी, जब तक कि सदस्य इससे भिन्न कोई विकल्प न चुने।

(2) कोई भी सदस्य अपने विकल्प एक महीने में एक से अधिक किस्त चुका सकता है और प्रत्येक किस्त की राशि सब मिलाकर रूपयों में होगी, ताकि जरूरत होने पर अग्रिम बढ़ाए अथवा घटाए जाने की स्थिति में भी ऐसे किस्तों का निर्धारण किया जा सके।

परंतु यह कि यदि लिए जा रहे अग्रिम की राशि तीन मास के वेतन या निधि में जमा के रूप में उपलब्ध सदस्य के अंशदान की आधी राशि और उस पर ब्याज से अधिक हो, तो न्यासियों को यह अधिकार होगा कि वे इस राशि की वसूली अधिकतम छत्तीस किस्तों में करने के निदेश दे दें।

**14. ब्याज की वसूली** – (1) अग्रिम की मूल राशि पूर्ण रूप से चुकाए जाने के बाद उस पर ब्याज की वसूली आहरण और मूल राशि के पूर्ण चुकौती के बीच की अवधि के लिए मूल राशि के 1/5 प्रतिशत की दर से प्रत्येक मास या खंडित अवधि के लिए की जाएगी।

(2) सामान्यतया मूल राशि के पूर्ण चुकौती के बाद के महीने में ब्याज की वसूली एक किस्त में की जाएगी; किंतु, यदि खंड (क) में उल्लिखित अवधि बीस महीनों से अधिक होने की स्थिति में सदस्य की इच्छा पर ब्याज की वसूली दो समान मासिक किस्तों में की जाएगी।

**15. वसूलियाँ**— (1) अग्रिम लेने के बाद पहली बार जब सदस्य पूरे महीने का वेतन प्राप्त करता है, तब से वसूलियाँ शुरू की जाएँगी:

परंतु यह कि सदस्य के अवकाश पर या निलंबित रहने की अवधि को छोड़कर, कोई भी वसूली सदस्य की सहमति के बिना नहीं की जाएगी।

(2) यदि किसी अंशदाता को एक से अधिक अग्रिम दिया गया है, तो प्रत्येक अग्रिम को वसूली के प्रयोजन से अलग-अलग माना जाएगा।

(3) जैसे-जैसे वसूलियाँ की जाती हैं, वैसे-वैसे राशि निधि के अंतर्गत सदस्य के खाते में जमा की जाएगी।

**16. आहरण** – विनियम 17 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन न्यासी अपने पूर्ण विवेक और सदस्य के लिखित अनुरोध पर निधि में उसके नाम पर जो राशि जमा है, उसे किसी भी समय निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक प्रयोजन से आहरण करने के लिए उसे मंजूरी दे सकते हैं:-

(क) अपने स्वयं के रहने के लिए भवन या उपयुक्त मकान खरीदने के लिए जिसमें स्थल की लागत या केवल इस प्रयोजन से ही लिए गए ऋण की किसी बकाया राशि की चुकौती भी शामिल है।

(ख) उच्चतर शिक्षा के खर्च की पूर्ति के लिए, जिसमें निम्नलिखित मामलों में सदस्य के किसी भी बच्चे द्वारा विदेश यात्रा का खर्च, जहां कहीं आवश्यक हो, भी शामिल है।

(i) हाई स्कूल स्तर की पढाई के बाद के किसी अकादमिक, तकनीकी, व्यावसायिक या वृत्तिपरक पाठ्यक्रम के लिए भारत से बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए; और

(ii) हाई स्कूल स्तर की पढाई के बाद किसी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषीकृत पाठ्यक्रम के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बशर्ते वह पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम का न हो।

(ग) अपनी पुत्री या पुत्रियों या यदि कोई पुत्री न हो, तो उस पर आश्रित किन्हीं अन्य महिला संबंधियों के विवाह संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए।

(घ) अपने पुत्र या पुत्रों के विवाह संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए।

(ड.) बैंक द्वारा अनुमोदित किसी सहकारी आवास समिति के सदस्य के रूप में या इस प्रयोजन से बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य योजना के तहत अपने स्वयं के रहने के लिए एक उपयुक्त भवन बनाने अथवा मकान खरीदने के लिए, जिसमें स्थान की लागत भी शामिल है,

परंतु जब तक सदस्य पच्चीस वर्षों की सेवा पूरी न कर लेता हो या उसकी आयु पचास वर्ष की न हो गई हो, तब तक खंड (क), (ख), (ग) एवं (घ) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए कोई आहरण अनुमत नहीं किया जाएगा।

**17. आहरित की जाने वाली राशि की सीमा**-आहरित की जाने वाली राशि की सीमा निम्नलिखित के अध्यक्षीन होगी :-

क. विनियम 16 के खंड (क) के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा निधि से आहरित की जाने वाली राशि इससे अधिक नहीं होगी-

(1) (क) ब्याज सहित स्वयं के अंशदान की आधी राशि जो निधि में उसके नाम पर जमा है; या

(ख) मकान की वास्तविक लागत जिसमें स्थान की लागत भी शामिल है या इस प्रयोजन से लिए गए ऋण की चुकौती के लिए आवश्यक राशि, इनमें से जो भी कम हो।

(2) यदि कोई सदस्य मकान बनाने के लिए विनियम 16 के खंड (क) के अंतर्गत कोई राशि आहरित करना चाहता है, तो उसे केवल दो समान किस्तों में और अधिकतम चार किस्तों में आहरण करने की अनुमति दी जाएगी; किंतु पहली किस्त के बाद न्यासियों द्वारा किसी किस्त का आहरण तभी अनुमत किया जाएगा, जब वे इस बात से संतुष्ट हो कि घर बनाने के कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई है।

स्पष्टीकरण : उप-विनियम 17 (क) के प्रयोजन से लेनदेन से संबंधित किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने में हुए वास्तविक व्यय मकान के लागत अथवा ऋण की चुकौती के लिए अपेक्षित राशि घर में शामिल की जाएगी।

ख. (1) विनियम 16 के खंड (ख) के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा निधि से आहरित की जाने वाली कोई भी राशि निधि में जमा स्वयं के अंशदान की आधी राशि और उस पर ब्याज या तीन महीनों के वेतन, इनमें से जो कोई भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(2) किसी सदस्य को विनियम 16 के खंड (ख) के अंतर्गत निधि से राशि आहरित करने की अनुमति छह महीनों में एक बार दी जाएगी।

(3) ऐसा कोई सदस्य, जिसे विनियम 16 के खंड (ख) के अंतर्गत निधि से राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है, आहरण की तारीख से छह महीनों के भीतर न्यासियों को संतुष्ट करेगा कि धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन से किया गया है, जिसके लिए राशि आहरित की गई थी:

परंतु यह कि जहां आहरित राशि के किसी हिस्से को उक्त अवधि में खर्च न किया जा सकता हो और सदस्य उक्त अवधि के तुरंत बाद छह महीनों की अवधि में निधि से कोई अन्य राशि आहरित करना चाहता हो, तो वह इस अतिरिक्त राशि को हिसाब में लेते हुए उक्त अवधि के तुरंत बाद की छह महीनों की अवधि में आहरण के लिए राशि निर्धारित कर सकता है और उक्त अवधि समाप्त होने के एक महीने के भीतर वह इस संबंध में न्यासियों को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है:

परंतु यह कि ऐसी अतिरिक्त राशि प्रयुक्त राशि के 10% से अधिक नहीं होगी।

ग. विनियम 16 के खंड (ग) के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा आहरित कोई भी राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी-

(1) (क) छह महीनों का वेतन; या

(ख) निधि में उसके नाम पर ब्याज सहित जमा स्वयं के अंशदान की आधी राशि, इनमें से जो भी कम हो:

परंतु यह कि विशेष मामलों में न्यासी खंड (क) में विनिर्दिष्ट सीमा में रियायत दे सकते हैं, किंतु किसी भी स्थिति में आहरित राशि 10 महीनों के वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) विनियम 16 के खंड (ग) के अंतर्गत उस महीने जब वास्तव में विवाह होगा, से पूर्व के तीन महीनों में सदस्य को आहरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(3) सदस्य को विवाह की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर या यदि वह अवकाश पर हो तो अवकाश से लौटने के एक महीने के अंदर इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि आहरित राशि का उपयोग वास्तव में उसी प्रयोजन से किया गया है, जिसके लिए राशि ली गई थी।

स्पष्टीकरण – यदि दो या अधिक विवाह एकसाथ संपन्न होते हैं, तो प्रत्येक विवाह के संबंध में उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अंतर्गत अनुमत राशि इस तरह निर्धारित की जाएगी कि आहरण एक के बाद एक अलग से संस्वीकृत किए गए हो।

घ. विनियम 16 के खंड (घ) के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा आहरित की जाने वाली कोई भी राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी-

(1) (क) तीन महीनों के वेतन; या

(ख) निधि में उसके नाम पर जमा ब्याज सहित स्वयं के अंशदान की आधी राशि, इनमें से जो भी कम हो:

परंतु यह कि विशेष मामलों में न्यासी खंड (क) में विनिर्दिष्ट सीमा में रियायत दे सकते हैं, किंतु किसी भी स्थिति में आहरित राशि छह मास के वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) विनियम 16 के खंड (ग) के अंतर्गत उस महीने जब वास्तव में विवाह होगा, से पूर्व के तीन महीनों में सदस्य को आहरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(3) सदस्य को विवाह की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर या यदि वह अवकाश पर हो तो अवकाश से लौटने के एक महीने के भीतर इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि आहरित राशि का उपयोग वास्तव में उसी प्रयोजन से किया गया है, जिसके लिए राशि ली गई थी।

**स्पष्टीकरण** – यदि दो या अधिक विवाह एकसाथ संपन्न होने हैं, तो प्रत्येक विवाह के संबंध में उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अंतर्गत अनुमत राशि इस तरह निर्धारित की जाएगी कि आहरण एक के बाद एक अलग से संस्वीकृत किए गए हों।

ड. विनियम 16 के खंड (घ) के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा आहरित की जाने वाली कोई भी राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी—

(1) (क) एक हजार पांच सौ रुपए की राशि या निधि में उसके नाम पर जमा के रूप में उपलब्ध ब्याज सहित स्वयं के अंशदान की आधी राशि, इनमें से जो भी अधिक हो। किंतु किसी भी स्थिति में यह निधि में उसके नाम पर जमा के रूप में उपलब्ध ब्याज सहित स्वयं के अंशदान की पूर्ण राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए; या

(ख) मकान और स्थल की वास्तविक लागत में से जो भी कम हो।

(2) विनियम 16 के खंड (ड.) के अंतर्गत किसी सदस्य को सेवा के दौरान केवल एक बार ही राशि आहरित करने की अनुमति दी जा सकती है।

#### 18. आहरण की अनुमति के कारण –

क. (1) विनियम 16 के खंड (क) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन से राशि आहरित करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक न्यासी निम्नलिखित के बारे में संतुष्ट न हो –

(क) सदस्य के कार्य स्थल पर या सेवानिवृत्ति के बाद उस स्थान जहां वह रहना चाहता है, में सदस्य का कोई मकान न हो और उस स्थान पर सदस्य द्वारा केवल एक घर बनाया, खरीदा या पुनः प्राप्त किया जाएगा;

(ख) उसके द्वारा आहरित की जाने वाली राशि वास्तव में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो;

(ग) सदस्य की निजी बचत यदि कोई हो, सहित वह राशि निम्नलिखित प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो;

(2) मकान बनाने के लिए आहरण के मामले में –

(i) सदस्य को उस स्थान पर मकान बनाने या तुरंत खरीदने का अधिकार प्राप्त है;

(ii) सदस्य के पास इसके लिए अनुमोदित प्लान है।

(3) मकान लेने के लिए आहरण के मामले में विक्रेता को उस जमीन और मकान पर अलोप्य (इनडिफीसिबल) और स्पष्ट हक होना चाहिए, जिसे सदस्य को बेचने के लिए वह सहमत है;

(4) ऋण की चुकौती करने के लिए आहरण किए जाने के मामले में सदस्य ने न्यासियों के समक्ष आवश्यक विलेख और कागजात प्रस्तुत कर दिए हों, जिनसे जमीन और उस पर बनाए जाने वाले मकान पर उसका अविवादित हक सिद्ध होता हो।

(5) प्रत्येक मामले में निर्माण कार्य धन आहरण की तारीख के छह महीनों के भीतर शुरू करना होगा और निर्माण कार्य शुरू होने के एक वर्ष के अंदर पूरा करना होगा। जहां सदस्य के नियंत्रण से बाहर के कारणों से संरचना बनाने का काम शुरू करने या पूरा करने में देरी होने की संभावना हो, तो वहां इसे ऐसी लंबी अवधि जिसे न्यासी निर्धारित करें, में पूरा करना होगा।

(6) आवास आहरण की तारीख से तीन महीनों के भीतर खरीदी या पुनः प्राप्त की जाएगी।

(7) ऋण की चुकौती के लिए विनियम 16 के उप खण्ड (क) के अंतर्गत किए गए आहरण किए जाने के मामले में, ऋण की अदायगी आहरण के तीन महीनों के अंदर की जाएगी।



ख (1) विनियम 16 के खंड (ड) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन से राशि आहरित करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक न्यासी निम्नलिखित के बारे में संतुष्ट न हो -

(क) सदस्य का अपने कार्य-स्थल या उस स्थान जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद वह रहना चाहता हो, पर कोई अपना मकान नहीं है और उक्त स्थान पर सदस्य द्वारा केवल एक ही मकान बनाया, खरीदा या पुनः प्राप्त किया जाएगा;

(ख) जिस उद्देश्य के लिए वह राशि आहरित करना चाहता है, वह वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए ही है;

(ग) सदस्य की निजी बचत यदि कोई हो, सहित वह राशि उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो;

(2) मकान बनाने के लिए आहरण के मामले में -

(i) सदस्य को उस स्थान पर मकान बनाने या तुरंत खरीदने का अधिकार प्राप्त है;

(ii) सदस्य के पास इसके लिए अनुमोदित प्लान है।

(3) मकान लेने के लिए आहरण के मामले में विक्रेता को उस जमीन और मकान पर अलोप्य (इनडिफीसिबल) और स्पष्ट हक होना चाहिए, जिसे सदस्य को बेचने के लिए वह सहमत है;

(4) ऋण की चुकौती करने के लिए आहरण किए जाने के मामले में सदस्य ने न्यासियों के समक्ष आवश्यक विलेख और कागजात प्रस्तुत कर दिए हों, जिनसे जमीन और उस पर बनाए जाने वाले मकान पर उसका अविवादित हक सिद्ध होता हो।

(5) प्रत्येक मामले में निर्माण कार्य धन आहरण की तारीख के छह महीनों के भीतर शुरू करना होगा और निर्माण कार्य शुरू होने के एक वर्ष के अंदर पूरा करने होगा। जहां सदस्य के नियंत्रण से बाहर के कारणों से संरचना बनाने का काम शुरू करने या पूरा करने में देरी होने की संभावना हो, तो वहां इसे ऐसी लंबी अवधि जिसे न्यासी निर्धारित करें, में पूरा करना होगा।

(6) आवास आहरण की तारीख से तीन महीनों के भीतर खरीदी या पुनः प्राप्त की जाएगी।

(7) ऋण की अदायगी करने से संबंधित विनियम 16 के खण्ड (ड) के अंतर्गत आहरण के मामले में, ऋण की अदायगी आहरण से तीन महीने के अंदर की जानी चाहिए।

**19. प्रलेखीय साक्ष्य :-** वह सदस्य जिसे विनियम 16 के खण्ड (क) या खंड (ड) के अंतर्गत निधि से राशि आहरित करने की अनुमति दी गई हो, मांग किए जाने पर कर रसीदें, हक विलेख या प्रलेख प्रस्तुत कर न्यासियों संतुष्ट करेगा कि मकान उसके एकल स्वामित्व में है और उसने न्यासियों की पूर्वानुमति के बिना तीन वर्षों से अधिक समय के लिए बिक्री, बंधक, उपहार, या पट्टे के कारण उस मकान के अभिग्रहण से छूटा नहीं है।

**20. सीमा से अधिक आहरित राशि लौटाना-** (1) यदि यह पाया जाता है कि विनियम 17 के अंतर्गत सदस्य द्वारा आहरित की गई राशि उस उद्देश्य जिसके लिए उसे आहरित किया गया था, हेतु वास्तव में खर्च की गई राशि से अधिक हो, या उसका उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया हो, तो सीमा से अधिक आहरित की गई राशि या ऐसी संपूर्ण राशि या वह राशि जो निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाई गई हो, तो निधि के मामले में उसके शेष के संबंध में विनियम 11 के अंतर्गत निर्दिष्ट दर पर ब्याज सहित उसके द्वारा तत्काल अदा की जाएगी।

2. उप विनियम (1) में संदर्भित भुगतान से चूक होने की स्थिति में न्यासियों द्वारा बैंक से सदस्य के वेतन एवं भत्तों में से या तो एकमुश्त या ऐसी मासिक किस्तों जिसे उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता हो, में उस राशि की वसूली करने का अनुरोध किया जाएगा और इस प्रकार से वसूली गई राशि को निधि में सदस्य के खाते में जमा कर दिया जाएगा।

परंतु यह कि यदि कोई सदस्य विनियम 17, 18 या 19 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता हो, जो कि मामले की परिस्थितियों के प्रसंगानुकूल है, आहरित की गई पूरी राशि की अदायगी निधि में ऊपर निर्दिष्ट किए गए अनुसार की जाएगी।

**21. सेवा से बर्खास्त किए जाने की स्थिति में -** यदि किसी सदस्य को किसी गलती या अन्य न्यायोचित कारण से बैंक की सेवा से निकाल दिया जाता हो, तो वह बैंक द्वारा उसके भविष्य निधि खाते में किए गए अंशदान की राशि या उस खाते में अंशदान की राशि पर जमा किए गए ब्याज की राशि को प्राप्त करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि न्यासियों द्वारा ऐसा करने के लिए उसे अनुमति न दी जाती हो।

परंतु यह कि जब किसी सदस्य को इस प्रकार सेवा से निकाल दिया जाता हो, तो उस सदस्य द्वारा बैंक के प्रति उठाई गई देनदारियों के अंतर्गत देय किसी भी राशि (बैंक के अंशदान और उस पर देय ब्याज से किसी भी हालत में यह अधिक न हो) का भुगतान न्यासियों द्वारा सदस्य के खाते में जमा राशि में से बैंक को किया जाएगा।

**22. जब्ती –** (1) यदि कोई सदस्य किसी कारणवश निधि का सदस्य नहीं रह जाता हो, तो वह, या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके नामिती, आश्रित या प्रतिनिधि निधि में उसके अलग खाते में जो भी कोई राशि जमा है, का भुगतान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। ऐसी किसी भी राशि को न्यासियों के विवेकाधिकार के अंतर्गत जो कि इन विनियमों में प्रावधान किया गया है, जब्त कर लिया जाएगा।

(2) कोई भी ऐसी राशि जो किसी जब्ती के फलस्वरूप निधि में उपचित होती हो, उसे एक अलग खाते में जमा किया जाएगा और स्टाफ के हित के लिए उसका निपटान इस प्रकार से किया जाएगा, जिसका निर्णय न्यासियों द्वारा निर्णय किया जाता हो। परंतु, फिर भी, न्यासी अपने पूर्ण विवेक पर किसी जब्ती से छूट दे सकते हैं और उसकी राशि सदस्य के खाते में जमा कर सकते हैं, जो जिस किसी भी कारण से छोड़ी हुई बैंक सेवा में बाद में पुनः सेवा ग्रहण कर सकता है।

**23. सेवा से त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्ति की स्थिति में –** यदि कोई सदस्य बैंक की सेवा से त्यागपत्र दे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है और यदि वह पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए सेवारत रहा है तो वह निधि में उसके नाम में जमा शेषराशि प्राप्त करने का पात्र होगा। परंतु यह कि यदि कोई सदस्य बैंक सेवा से त्यागपत्र दे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है और वह बैंक का देनदार है, तो न्यासी इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उसने कितनी अवधि के लिए सेवा की है, निधि में उसके नाम में जमा शेष राशि में से बैंक को उसके द्वारा देय किसी राशि का भुगतान करेगा (यह राशि किसी भी स्थिति में बैंक द्वारा निधि में उसके खाते में अंशदान की गई राशि और अंशदान की इन राशियों पर उसके नाम में जमा किसी ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगी)।

**24. सेवा में न रहने की स्थिति में –** यदि कोई सदस्य बैंक में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के पहले बैंक सेवा में नहीं रहता तो वह बैंक सेवा से जुड़े रहने की तारीख तक निधि में उसके द्वारा किए गए अंशदानों और उस पर जमा ब्याज की राशि पाने का पात्र होगा।

**25. निधि में बैंक के अंशदान के किसी अंश का भुगतान पाने के लिए पात्रता –** कोई भी सदस्य निधि में बैंक के अंशदान के किसी अंश का भुगतान पाने का तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह बैंक में पांच वर्ष तक सेवारत न रहा हो भले ही वह अंश निधि की बहियों में उसके खाते में जमा क्यों न कर दिया गया हो। यदि सदस्य को उसके नियंत्रण से बाहर के किसी कारण से पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के पहले सेवानिवृत्त होने के लिए बाध्य किया गया हो, तो न्यासी पूर्णतया अपने विवेकानुसार उस भुगतान को अधिकृत करेगा।

**26. नामांकन –** (1) प्रत्येक सदस्य इन विनियमों से संलग्न फार्म ए में उसके परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों को उस राशि को प्राप्त करने के लिए नामित करेगा जो निधि में उसके नाम में जमा है और जो उसकी मृत्यु की स्थिति में उसे देय होगी।

(2) ऐसा कोई सदस्य जिसका कोई परिवार नहीं है, इन विनियमों से संलग्न फार्म बी में किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को नामित करेगा। परंतु यह कि ऐसा नामांकन केवल तब तक ही मान्य होगा जब तक उस सदस्य का कोई परिवार नहीं है और यह कि यदि किसी सदस्य का बाद में कोई परिवार हो जाता है तो वह पिछले नामांकन को रद्द करेगा और फार्म ए में अपने परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों को नामित करेगा।

(3) कोई सदस्य अपने नामांकन में उसके नाम में निधि में जमा राशि को अपने विवेकानुसार अपने नामितियों में बांट सकेगा।

(4) किसी सदस्य द्वारा कोई नामांकन रद्द किया जा सकेगा और उसके स्थान पर नया नामांकन किया जा सकेगा जिसके लिए इस विनियम में अनुमति दी गई है।

(5) कोई भी नामांकन या रद्दीकरण सूचना तभी प्रभावी होगी जब यह बैंक के केंद्रीय लेखा कार्यालय में प्राप्त हुई होगी और उस समय सदस्य बैंक में सेवारत होगा और उसे निधि की बहियों में पंजीकृत कराया गया होगा।

**स्पष्टीकरण –** इस विनियम के प्रयोजन से "परिवार" से आशय किसी सदस्य की पत्नी या पत्नियों या पति और संतान तथा सदस्य की विधवा या विधवाओं और मृत पुत्र की संतान से होगा:

परंतु यह कि यदि कोई सदस्य यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी कानूनन उससे अलग हुई है या जिस समाज से वह संबद्ध है उसकी प्रथागत विधि (कस्टमरीलाँ) के तहत वह उसकी पत्नी नहीं रही है और उनके अनुसार वह निर्वाह राशि पाने की पात्र है, वह तब तक उसके परिवार की सदस्य नहीं रहेगी, जब तक कि सदस्य बाद में न्यासियों को स्पष्ट लिखित अधिसूचना के द्वारा सूचित करता है कि उसे पहले की तरह उसकी पत्नी माना जाता रहे:

परंतु यह भी कि यदि कोई सदस्य न्यासियों को लिखित अधिसूचना द्वारा अपनी यह इच्छा अभिव्यक्त करती है कि उसके पति को उसके परिवार का सदस्य न माना जाए, तो उसके पति को तब तक उसके परिवार से संबद्ध नहीं माना जाएगा जब तक सदस्य बाद में लिखित अधिसूचना द्वारा उस बहिष्करण को औपचारिक रूप से रद्द नहीं कर देती।

परंतु यह भी कि यदि गोद लेना सदस्य की स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) में मान्य है, तो गोद ली हुई संतान को भी उसकी एक संतान माना जाएगा।

**27. सदस्य की मृत्यु के बाद निपटारा -** (1) इस विनियम के खंड (2) के उप खंड (ड) के उपबंधों के अधीन किसी सदस्य की मृत्यु होने पर निधि में उसके नाम में जमा पूरी राशि निम्नानुसार उसे देय होगी, भले ही सदस्य कितनी भी अवधि के लिए सेवारत रहा हो -

(1) यदि कोई सदस्य परिवार को छोड़ देता है -

(क) यदि इन विनियमों के अनुसार सदस्य द्वारा अपने परिवार के किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में कोई नामांकन किया गया है और वह जीवित है तो निधि में उसके नाम में जो राशि जमा है या उसका कोई हिस्सा जो नामांकन से संबंधित है नामिती या नामितियों को नामांकन में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार देय होगा;

(ख) यदि सदस्य के परिवार से संबद्ध किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में ऐसा कोई नामांकन नहीं है जो जीवित है या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके नाम में जमा राशि के किसी हिस्से से संबद्ध है, तो समस्त राशि या उसका कोई हिस्सा जो नामांकन से संबद्ध नहीं है यथास्थिति उसके परिवार से संबद्ध व्यक्तियों को बराबर हिस्सों में देय होगा भले ही कोई नामांकन उसके परिवार से संबद्ध किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को छोड़कर किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों से अभिप्रेत हो या न हो:

परंतु यह कि कोई हिस्सा निम्नलिखित को देय नहीं होगा -

- (i) ऐसे पुत्र जिन्होंने कानूनन वयस्कता प्राप्त कर ली है;
- (ii) किसी मृत पुत्र के ऐसे पुत्र जिन्होंने कानूनन वयस्कता प्राप्त कर ली है;
- (iii) ऐसी विवाहित पुत्रियाँ जिनके पति जीवित हैं;
- (iv) किन्हीं मृत पुत्रों की विवाहित पुत्रियाँ जिनके पति जीवित हैं;

यदि परिवार से संबद्ध ऐसा कोई व्यक्ति जो मद (i), (ii), (iii) और (iv) में उल्लिखित व्यक्तियों के अलावा हो:

परंतु यह भी कि किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवाएँ और बच्चा या बच्चे केवल वही हिस्सा समान रूप से प्राप्त करेंगे, जो उस पुत्र के जीवित होने पर सदस्य से उसे प्राप्त होता और यदि सदस्य के बाद जीवित होने पर वह प्रथम परंतुक की मद (i) के अंतर्गत किसी हिस्से को प्राप्त करने से बहिष्कृत हो जाता किंतु उसे इस तरह से बहिष्कृत नहीं किया गया है।

(2) यदि सदस्य का कोई परिवार नहीं हो -

(क) यदि सदस्य द्वारा इन विनियमों के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन किया गया है, जो सदस्य का आश्रित या के आश्रित हैं, और जीवित हैं, तो निधि में उसके नाम में जमा राशि या यथास्थिति उसका कोई हिस्सा जो नामांकन से संबंधित है, नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नामिती या नामितियों को देय होगा;

(ख) यदि ऐसा कोई नामांकन ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में विद्यमान हो जो उसका आश्रित नहीं है, तो निधि में उसके नाम में जमा राशि या यथास्थिति उसका हिस्सा जो नामांकन से संबंधित है उस नामिती को देय होगा यदि वह राशि पांच हजार रुपए से अधिक न हो;

(ग) यदि ऐसा कोई नामांकन विद्यमान न हो या यदि वह नामांकन निधि में सदस्य के नाम में जमा राशि के किसी हिस्से से संबंधित हो, तो वह समस्त राशि या यथास्थिति नामांकन से असंबद्ध उसका हिस्सा न्यासियों के समक्ष उपस्थित होने वाले ऐसे किसी व्यक्ति को देय होगा जो अन्यथा उसे प्राप्त करने का पात्र है। परंतु समस्त राशि या यथास्थिति उसका कोई हिस्सा पांच हजार रुपए से अधिक न हो;

(घ) उप खंड (क) या उप खंड (ख) या उप खंड (ग) के तहत किसी व्यक्ति को देय न होने वाली कोई राशि या उसका कोई हिस्सा भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार प्रोबेट, प्रशासन पत्र, किसी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किए जाने पर किसी व्यक्ति को देय हो जाएगा।

टिप्पणी : यदि कोई नामिती या अन्य व्यक्ति सदस्य का आश्रित है, तो इन विनियमों के अंतर्गत ऐसे नामिती या अन्य व्यक्ति को देय राशि भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 3 की उप धारा (2) के अंतर्गत आश्रित को निहित होती है।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजनों से "आश्रित" से आशय भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 2 के खंड (ग) में निर्धारित सदस्य के आश्रित से है।

(ङ) इस विनियम में किसी बात के होने के बावजूद किसी ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर, जो बैंक के प्रति उसके द्वारा वहन की गई किसी देयता के अधीन है, तो न्यासी निधि में उसके नाम में जमा किसी शेषराशि में से उसके द्वारा बैंक को देय किसी राशि का इस विनियम के अंतर्गत भुगतान करने के पूर्व बैंक को भुगतान कर सकेंगे (जो किसी भी स्थिति में निधि में बैंक द्वारा उसके खाते में अंशदान की गई राशि और इस प्रकार अंशदान की गई किसी राशि पर उसके खाते में जमा ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगी)।

**28. ब्याज लगना बंद होना.** – किसी सदस्य के नाम में निधि की बहियों में जमा सभी धनराशियों पर ब्याज लगना उस दिन से बंद हो जाएगा, जिस दिन से वह बैंक सेवा छोड़ता है या जिस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, इनमें जो कोई भी घटना पहले घटती हो।

**29. दावे के लिए अयोग्यता.** – सिवाय भविष्य निधि अधिनियम या इन विनियमों में स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान के, कोई सदस्य या कोई एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति इनके अंतर्गत या उसके माध्यम से निधि की किसी धनराशि के लिए दावा नहीं करेंगे।

**30. किसी मृत सदस्य के लाभार्थी को अग्रिम** – न्यासी ऐसे किसी सदस्य के लाभार्थी या लाभार्थियों को उस स्थिति में अंतिम संस्कार या अन्य खर्चों की पूर्ति के लिए अग्रिम दे सकेंगे, जिसका निधि में हित है और जहाँ वे लाभार्थी या उनमें से कोई निर्धनता की परिस्थितियों में हैं, और उन्हें वसीयत प्रोबेट या प्रशासन पत्र या अन्य प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र या मृत की संपदा में हक मिलने की आशा है।

**31. सेवानिवृत्ति के पहले अवकाश लेने की स्थिति में आहरण का विकल्प** – सदस्य सेवानिवृत्ति के पहले अवकाश लेने की स्थिति में निधि में उनके नाम में जमा शेष राशि के 90 प्रतिशत तक आहरण अपने विकल्प पर कर सकते हैं। किंतु यदि सदस्य अंततः सेवानिवृत्त नहीं होता तो आहरण की गई पूरी राशि रोजगार जारी रखने की शर्त पर अवश्य वापस करनी होगी।

**32. न्यासियों की देयता** – कोई भी न्यासी जिम्मेदार और दोषी नहीं होगा सिवाय और उस स्थिति के जिसमें उसने वास्तव में धनराशि प्राप्त की हो भले ही उसने अतिबद्धता या अन्य किसी कारण से रसीद पर हस्ताक्षर किए हों न ही वह ऐसे किसी बैंक के कृत्यों, चूकों या लापरवाहियों के कारण और न ही किसी हानि के लिए तब तक जिम्मेदार या दोषी नहीं होगा जिसमें निधि की धनराशियाँ जमा की गई हैं जब तक कि वह घटना उसके अपने किसी इरादतन कृत्य या चूक के कारण न घटी हो।

**33. निधि को बंद करना** - यदि बैंक केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से न्यासियों को लिखित नोटिस देता है कि वह निधि में और अंशदान करने का इच्छुक नहीं है तो निधि बंद कर दी जाएगी और इस प्रकार बंद किए जाने की स्थिति में निधि की वह राशि सदस्यों के बीच प्रत्येक सदस्य को भुगतान करके बांट दी जाएगी जो पूर्वोक्तानुसार ऐसे विभाजन के समय उस सदस्य के नाम में जमा होगी।

**34. न्यासियों के निर्णय** - न्यासियों का निर्णय, सभी तरह से और सभी मामलों, विषयों और विवादों जो इन विनियमों की व्याख्या या निधि से संबद्ध या उसके प्रशासन से संबंधित होंगे या जुड़े होंगे, सदस्यों पर बाध्यकारी होगा।

**35. विनियम का विस्तार** – विनियम 7 के उप विनियम (2) में किसी बात के होने के बावजूद, इन विनियमों में केंद्रीय बोर्ड द्वारा भारत के बाहर किसी देश में कार्यरत और ऐसे देश में सेवा के लिए उस अवधि और उन शर्तों और संशोधनों पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू करने के लिए विस्तार किया जा सकेगा जिन्हें केंद्रीय बोर्ड उचित समझेगा और ऐसे कर्मचारियों के संबंध में जो पाकिस्तान, सिलॉन या युनाइटेड किंगडम में कार्यरत हैं और जो इंपीरियल बैंक आफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि या भारतीय स्टेट बैंक (सिलॉन) कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, ये विनियम केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस प्रकार तब तक विस्तारित समझे जाएंगे जब तक कि उन कर्मचारियों के संबंध में अलग से भविष्य निधि इस संशोधन की शर्त पर गठित नहीं कर दी जाती कि बैंक के लंदन कार्यालय में किसी सदस्य के मामले में विनियम 8 के उप विनियम (1) में उपबंधित अंशदान की दर पांच प्रतिशत होगी भले ही उसके द्वारा कितना भी वेतन क्यों न लिया जा रहा हो।

**36. घोषणा** – प्रत्येक सदस्य निधि की सदस्यता ग्रहण करते समय निम्नलिखित फार्म में घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा (करेगी) :-

**फॉर्म**

मैं घोषणा करता (करती) हूँ कि मैंने भारतीय स्टेट बैंक भविष्य निधि के विनियमों को पढ़ और समझ लिया है और मैं एतद्वारा अंशदान करने तथा उक्त विनियमों द्वारा बाध्य रहने के लिए सहमत हूँ

दिनांक.....दिन.....20.....

पूरा नाम.....

जन्म तिथि.....

नियुक्ति का स्वरूप.....

सेवाग्रहण करने की तारीख.....

स्थायीकरण की तारीख.....

मासिक वेतन .....

(हस्ताक्षर).....

साक्षी.....

सूचकांक.....

पदनाम.....

पता.....

विवरण ठीक पाया और हस्ताक्षर सत्यापित किए।

कार्यालय प्रबंधक/शाखा प्रबंधक/उप महाप्रबंधक

**37. सेविंग क्लॉज :** - भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि नियम-1955 के प्रावधानों के अनुसार और के अंतर्गत की गई सभी कार्रवाई एवं किया गया कोई भी कार्य संबंधित पक्षों के लिए वैध और उन पर बाध्य होगा। इन विनियमों के द्वारा उक्त भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि नियम-1955 के अतिक्रमण से उक्त नियमों के परिणामस्वरूप लिए गए विभिन्न निर्णयों/की गई कार्रवाई की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**व्याख्यात्मक ज्ञापन**

भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि नियमावली भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (23 वर्ष 1955) की धारा 50 के उपबंधों के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा फाइल सं. एफ.8/80/66\_एसबी दिनांक 23 सितंबर 1964 में दी गई पिछली संस्वीकृति के अनुसार बनाई गई थी। प्रस्तावित विनियमावली के विनियम 12 के अनुसार निधि के न्यासी आय-कर अधिनियम 1962 के नियम 67 के अंतर्गत अनुमोदित प्रतिभूतियों में निधि की राशि का निवेश कर सकते हैं। संशोधित विनियम को पूर्ववर्ती प्रभाव दिया गया है और यह दिनांक 11 अगस्त 2011 से लागू माना जाएगा।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्ववर्ती प्रभाव देने के कारण किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शैलेश वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

[विज्ञापन III/4/असा/39/15]

भविष्य निधि फॉर्म ए

(नामांकन-फार्म, यदि सदस्य का परिवार हो)

सूचकांक.....

सदस्य का नाम.....

(स्पष्ट अक्षरों में)

(स्थान).....

(दिनांक).....

प्रेषिती

न्यासी, भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि

(.....)

भारतीय स्टेट बैंक,

.....के माध्यम से)

महोदय,

मैं एतद्वारा निदेश देता/देती हूँ कि मेरी मृत्यु के समय भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि से मुझे देय राशि मेरे परिवार के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए अनुसार वितरित की जाए:-

नामिती या नामितियों का/के नाम व पता/पते	सदस्य के साथ संबंध	नामिती की आयु	संचयों की राशि या अंश
1	2	3	4

भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली के विनियम 26 के उप-विनियम (4) के अंतर्गत जहां कहीं मैं उचित समझूंगा/समझूंगी नामांकन रद्द करने के मेरे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मैं एतद्वारा सूचित करता/करती हूँ कि इसके तहत नामांकित व्यक्ति/किन्हीं व्यक्तियों की मुझसे पहले मृत्यु होने की स्थिति में यह नामांकन तुरंत रद्द हो जाएगा जहाँ तक उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों में से किसी एक को दिए गए अधिकारों का संबंध है।

मैं

भवदीय,

-----  
(हस्ताक्षर)

साक्षी

(1) हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

(2) हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

सदस्य के हस्ताक्षर मेरे द्वारा सत्यापित किए गए

शाखा प्रबंधक / उप महाप्रबंधक

टिप्पणी : स्तंभ 4 इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि उसके नाम में जमा समस्त राशि का समावेश हो जाए।

भविष्य निधि फार्म बी  
(नामांकन-फार्म, यदि सदस्य का परिवार न हो)  
सूचकांक.....

सदस्य का नाम.....

(स्पष्ट अक्षरों में)

(स्थान).....

(दिनांक).....

प्रेषिती

न्यासी, भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि

(.....)

भारतीय स्टेट बैंक,

.....के माध्यम से)

महोदय,

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा कोई परिवार नहीं है और यह निदेश देता/देती हूँ कि मेरी मृत्यु के समय भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि से मुझे देय राशि मेरा कोई परिवार न होने के कारण निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए अनुसार वितरित की जाए:-

नामिती या नामितियों का/के नाम व पता/पते	सदस्य के साथ संबंध, यदि कोई हो	नामिती की आयु	संचयों की राशि या अंश
1	2	3	4

भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली के विनियम 26 के उप-विनियम (4) के अंतर्गत जहां कहीं मैं उचित समझूंगा/समझूंगी नामांकन रद्द करने के मेरे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मैं एतद्वारा सूचित करता/करती हूँ कि इसके तहत नामांकित व्यक्ति/किन्हीं व्यक्तियों की मुझसे पहले मृत्यु होने की स्थिति में यह नामांकन तुरंत रद्द हो जाएगा जहाँ तक उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों में से किसी एक को दिए गए अधिकारों का संबंध है।

मैं

भवदीय,

-----  
(हस्ताक्षर)

साक्षी

(1) हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

(2) हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

सदस्य के हस्ताक्षर मेरे द्वारा सत्यापित किए गए

शाखा प्रबंधक / उप महाप्रबंधक

टिप्पणी : स्तंभ 4 इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि उसके नाम में जमा समस्त राशि का समावेश हो जाए।

सी.ओ.एस. 435

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Financial Services)**  
**(State Bank of India)**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 20th August, 2015

**No. CDO/PM/SM/16/SPL/1042.**—In exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (2) of Section 50 of the State Bank of India Act, (23 of 1955), and in supersession of the State Bank of India Employees' Provident Fund Rules – 1955, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of the State Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following regulations for the establishment and maintenance of a provident fund for the benefit of the employees of the Bank, namely:—

**1. Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the State Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, 2015.

(2) Save as otherwise provided, these regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955);

(b) “Bank” means the State Bank of India;

(c) “Board of Trustees” means the Board of Trustees referred to in regulation 3;

(d) “Form” means the Form appended to the regulations;

(e) “Fund” means the State Bank of India Employees' Provident Fund setup to provide every employee who is a Member with a sum of money, the amount of which will be ascertained according to these regulations;

(f) “Member” means any person in the service of the Bank who has been admitted to the membership of the fund;

(g) “Provident Fund” means the sum of money which will be ascertained according to these regulations on termination of the member's service with the Bank;

(h) “Salary” means the substantive or basic pay plus personal and acting allowances, if any but does not include any other allowance, or any other bonus, commission or any other remuneration or profit:

Provided that in respect of the period from the 1st January, 1962 to 31st July, 1966, salary shall mean –

(A) in the case of employees other than those covered by, or paid on the same basis as in, the Award of the National Industrial Tribunal substantive or basic pay plus full personal and acting allowances, if any.

(B) in the case of employees, other than subordinate staff, so covered by, or paid on the same basis as in, the Award of the National Industrial Tribunal, eighty per cent. of the awarded basic pay plus full personal and acting allowances, if any; and



(C) in the case of the subordinate staff so covered by, or paid on the same basis as in, the Award of the National Tribunal, seventy five per cent. of the awarded basic pay:

Provided further that from the 1st September, 1978, 'salary' or 'substantive salary' shall include other emoluments or such portion thereof of a member as may for the time being be permitted by the Bank to rank for superannuation benefits under the rules of service applicable to the member.

(i) "Service" shall mean continuous service with the Bank and in the case of an employee who has been employed by the Bank with the benefit of continuity of service, as a consequence of the acquisition of the business of another bank under section 35 of the State Bank of India Act, 1955, or otherwise or as a consequence of the amalgamation of any bank with the Bank, under the Banking Companies Act, 1949, or otherwise his continuous service with the bank whose business is so acquired or which is so amalgamated shall be deemed to be service with the Bank.

(2) All other words and expressions used in these regulations but not defined, and defined in the Act and the Provident Funds Act, 1925 shall have the same meanings respectively assigned to them in that Acts.

**3. Board of trustees and its meeting.**— (1) The trustees of the Fund shall be the Directors of the Bank together with four members of the Fund nominated by the Directors for the time being and at every meeting of such trustees, the Chairman of the Bank shall be the Chairman of the meeting and in his absence one of the Directors shall be elected as the Chairman of the meeting.

(2) The four members referred to in sub-regulation (1) shall each and all of them be employees of the Bank serving under different local head offices.

**4. Quorum for the meeting.**— (1) The presence of at least five trustees of whom two shall be executive officers of the Bank shall be necessary to form a board for the transaction of business.

(2) Each trustee shall have one vote and in all cases of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.

**5. Committees of the Fund.**— (1) The trustees may appoint any one from their number, who shall be an executive officer of the Bank, to carry on the ordinary business of the Fund including the exercise on behalf of the trustees of every power and discretion vested in the trustees under the regulations 12 to 20 and regulation 31.

(2) The trustees may also appoint a committee from their number of whom at least one shall be an executive officer of the Bank, to carry on other ordinary business of the Fund including the sanctioning of payments to members.

(3) Three trustees shall form a quorum of the committee.

**6. Accounts of the Fund.**— The accounts of the Fund shall be made up yearly as at 31st March and an audited statement of affairs as at that date shall be submitted to a meeting of the trustees to be held not later than 31st August in every year and a copy of such statement shall be forwarded annually to each member.

**7. Eligibility.**—(1) Save as provided in sub-regulation (2), every permanent employee including a permanent part-time employee, who is required by the Bank to work for more than six hours a week in the service of the Bank, is entitled to contributory provident fund benefits under the terms and conditions of his service and shall become a member of the Fund from —

(a) the date from which he is confirmed in the service of the Bank, or

(b) the date from which he may be required to become a member of the Fund under the terms and conditions of his service.

(2) Save as provided in regulation 35, employees of the Bank who are members of the Imperial Bank of India Employees' Provident Fund or who are engaged in any country outside India and appointed for service in such country, shall not be eligible for membership of the Fund.

**8. Subscription.**— (1) Every member shall subscribe towards the Fund in each month a sum equivalent to ten per cent of his salary.

(2) The subscriptions referred to in sub-regulation (1) shall be credited to the members' individual accounts in the books of the provident fund and a sum equal to that subscribed by members shall also be contributed by the Bank monthly and credited to each member's account.

(3) The amount of a member's or the Bank's subscription in terms of sub-regulation (1) or sub-regulation (2), if it contains an element of paise, the same shall be rounded off to the next higher rupee.

**9. A. Contribution in the event of Acquisition or Amalgamation.**—

(1) In the event of the Bank acquiring the business of any other bank under section 35 of the State Bank of India Act, 1955, or in the event of amalgamation of any bank with the Bank under the Banking Companies Act, 1949, or otherwise and as a consequence of such acquisition or amalgamation, the Bank is employing employees of such other bank (hereinafter referred to as "the said employees"), the trustees shall receive the amounts if transferred to them by

the trustees of the Provident Fund maintained by the other bank and standing to the credit of the account of the said employees under the columns “employees’ contributions”, “interest on employees’ contributions”, “employer’s contributions” and “interest on the employer’s contributions” (or under columns to that effect) and credit the amounts so received under the respective columns of the accounts of the said employees opened or to be opened in the Fund:

Provided that if in the other Bank, the Provident Fund does not consist of any component of employers’ contribution, there shall be no obligation on the trustees or the Bank to credit any amount in the column “employer’s contributions” of the account of the said employees opened or to be opened in the Fund.

(2) The amounts so credited shall thereafter be dealt with in accordance with these regulations as if the same were contributions by the said employees and interest thereon and the Bank’s contributions if any in respect of the said employees and interest thereon under these regulations and the said employees shall have no claim against the Bank or the trustees in respect of the amounts so credited, save and except in accordance with these regulations.

**B. In the event of leaving the service in any other establishment and joining the service of the Bank—**

(1) In the case of an employee leaving his service in any other establishment or institution and joining the service of the Bank and who is permitted or required to become a member of the provident fund maintained by the Bank, the trustees shall, at the request of the employee and if the regulations in relation to provident fund maintained by his former employer so permit, receive any amount due to him from the provident fund account maintained by his former employer and transferred by the said employer directly to the provident fund maintained by the Bank.

(2) The amounts so received shall be credited to the account of the said employee to be opened in the Fund under the column “employees’ contributions” (or under the column to that effect).

(3) The amounts so credited shall thereafter be dealt with, in accordance with these regulations, as if the same represented contributions made by the said employee under these regulations, provided that the bank shall not be liable to make any contributions corresponding to the amounts so credited as aforesaid.

(4) The said employee shall have no claim against the Bank or the trustees in respect of the said amounts save and except in accordance with these regulations.

(5) The services rendered by the member admitted to the Fund under sub-regulation A, and sub-regulation B in the earlier establishment or institution shall for the purpose of regulation 16 and for no other purpose be deemed as service in the Bank

**C. In the event where an employee of the Bank leaves the service of the Bank and joining the service of any other establishment.—**

In the case where an employee of the Bank leaves the service of the Bank and joins the service of any other establishment/institution, the trustees shall, at the request of the employee made in writing and if the regulations in relation to the provident fund maintained by his new employer so permit, transfer the amount due to the employee from the Fund maintained by the Bank directly to the Provident Fund maintained by his new employer, but such transfer shall be subject to the provisions of regulation 23.

**10. Additional Contribution.-** (1). Subject to provisions of sub-regulation (2) and with effect from the 1st April 1966, any member of the Fund may, at his option, subscribe towards the Fund, in addition to any sum that he shall subscribe in terms of sub-rule (1) of regulation 8, such sum as shall not, together with the sum subscribed by him in terms of that sub-rule (1), be more than twenty five percent of his salary.

(2) A member desirous of exercising the option to subscribe to the Fund in terms of sub-regulation (1) shall advise in writing to the officer responsible for paying his salary the rate expressed in percentage of his salary at which he desires to subscribe and such rate shall not at any time be less than five percent of his salary and when once fixed can be altered only by written intimation by him to such officer not less than one calendar month in advance of the salary payment date for the month of April.

(3) The subscriptions made under this rule shall also be credited to the members’ accounts in the books of the Fund, but no contributions equivalent to or in respect thereof shall be payable by the Bank.

(4) The amount of a member’s or the Bank’s subscription in terms of sub-regulation (1) or sub-regulation(2) shall be rounded off to the next higher rupee, if it contains an element of paise. This provision shall come into effect from 1st April 1988.

**11. Investment of the Fund.-** (1) All monies of the Fund except sums withdrawn under regulations 12,13,14,15,16 and 31 shall be deposited in the Bank in an account called “The Trustees of the State Bank of India Employees’ Provident Fund” and interest thereon at the appropriate rate referred to in sub-regulation (2) shall be paid by the Bank half-yearly or the said monies of the Fund or part of it may be invested by the trustees in any securities covered under rule 67 of the Income-tax Rules, 1962 in respect of the investment of Fund monies contributed to Provident Fund recognised under the

Income-tax Act, 1961 or the Indian Trusts Act, 1882.

(2) Every member shall be allowed interest at a rate fixed annually by the Executive Committee for the year ending on each the 31st day of March provided that the rate so fixed shall not be less than either-

- (a) one half percent above the average standard rate (adjusted up or down to the interest one quarter per cent) quoted by the bank for new deposits fixed for twelve months in the preceding year (ending on the preceding the 31st day of March); or
- (b) three percent per annum.

The account of each member shall be credited with interest at that rate half-yearly on sums standing to the trustees' credit.

**12. Advances.**—(1) The trustees may, in their absolute discretion, and at the written request of a member, make advances to that member by applying the whole or any portion of the amount of that member's individual subscriptions standing to his credit in the payment of premia on an endowment insurance policy (or policies) on the life of that member provided that every policy on which any premium or premia shall be so paid shall be assigned to the trustees or the Bank as the nominee of the trustees, free from encumbrances, in security of the repayment to the trustees of such advances and that the insurance company issuing the policy is duly approved by them.

(2) The trustees may in their absolute discretion, and at the written request of a member, make advances to that member from the amount standing to his credit in the Fund, subject to the following conditions, namely :-

(a) No advance shall be granted unless the trustees are satisfied that the member's pecuniary circumstances justify the advance and that it may be expended on any of the following objects namely :-

- (i) to pay expenses incurred in connection with the serious or prolonged illness of the member or any person actually dependent on him;
- (ii) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the member's status which by customary usage the member has to incur in connection with marriages, funerals or other ceremonies;
- (iii) to meet any other expenditure or liability which, in the opinion of the trustees, is extraordinary and beyond the ordinary capacity of the member to meet;

(b) An advance shall not, except for special reasons,-

- (i) exceed three months' salary or half the amount of the member's own subscriptions and interest thereon standing to his credit in the Fund, whichever is less; or
- (ii) be granted until at least a period of twelve months has elapsed after the final repayment of all previous advances, together with interest thereon.

**13. Recovery of Advances.**- (1) An advance shall be recovered from the member in such number of equal monthly instalments as the trustees may direct, but such number shall not be less than twelve unless the member so elects, or in any case more than twenty-four.

(2) A member may, at his option, repay more than one instalment in one month and each instalment shall be a number of whole rupees, the amount of advance being raised or reduced, if necessary, to admit of fixation of such instalments:

Provided that where the amount advanced exceeds three months' salary or half the amount of the member's own subscriptions and interest thereon standing to his credit in the Fund, it shall be open to the trustees to direct that the amount be recovered in a maximum of thirty-six instalments.

**14. Recovery of Interest.**- (1) After the principal of the advance has been fully repaid interest shall be recovered thereon at the rate of one-fifth per cent of the principal for each month or broken part thereof during the period between the withdrawal and complete re-payment of the principal.

(2) The interest shall ordinarily be recovered in one instalment in the month after complete re-payment of the principal; but, if the period referred to in regulation 13 exceeds twenty months, interest may, if the member so desires, be recovered in two equal monthly instalments.

**15. Recoveries.**—(1) The Recoveries shall commence when the member draws his salary for the full month for the first time after the advance is made:

Provided that no recovery shall be made except with the consent of the member while he is on leave or under suspension.

(2) If more than one advance has been made to a subscriber, each advance shall be treated separately for the purpose of

the recovery.

(3) The Recoveries made shall be credited, as they are made, to the member's account in the Fund.

**16. Withdrawal.**— Subject to the conditions specified in regulations 17 the trustees in their absolute discretion may, at the written request of a member, sanction at any time withdrawal by him from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely : —

(a) Building or acquiring a suitable house for his residence including the cost of the site or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose.

(b) Meeting the cost of higher education, including wherever necessary the cost of passage, of any child of the member in the following cases, namely : —

(i) for education outside India for an academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years.

(c) Meeting expenses in connection with the marriage of his daughter or daughters or, if the member has no daughter, any other female relatives dependent on him.

(d) Meeting expenses in connection with the marriage of his son or sons.

(e) Building or acquiring, as a member of a Co-operative Housing Society approved by the bank or under any other scheme approved by the Bank for the purpose, a suitable house for his residence including the cost of the site:

Provided that no withdrawal shall be allowed for any of the purposes mentioned in clauses (a), (b), (c) and (d) unless the member has completed twenty-five years of service or has attained the age of fifty years.

**17. Limit on amount withdrawn.**— The limit on amount withdrawn shall be subject to the following, namely:—

A. Any sum withdrawn by a member under clause (a) of regulation 16 from the Fund shall not exceed—

(1) (a) one half of the amount of his own subscriptions with the interest thereon standing to his credit in the Fund; or

(b) the actual cost of the house including the cost of site or the amount required for re-payment of the loan taken for this purpose, whichever is less.

(2) If a member desires to withdraw any sum under clause (a) of Regulation 16 for the construction of a house, he shall be permitted to do so only in equal instalments of not less than two and not more than four in number; but the withdrawal of any instalment after the first shall be permitted by the trustees only if they are satisfied that there has been sufficient progress in the construction of the house.

Explanation : For the purpose of sub-regulation 17(A), the actual expenditure incurred in connection with the execution of any document relating to the transaction may be included in the cost of the house or the amount required for the re-payment of the loan.

B.(1) Any sum withdrawn by a member under clause (b) of regulation 16 from the Fund shall not exceed half the amount of his own subscriptions and the interest thereon standing to his credit in the Fund or three months' salary, whichever is less.

(2) Withdrawal by a member under clause (b) of regulation 16 from the Fund shall be permitted once in every six months.

(3) A member who has been permitted to withdraw money from the Fund under clause (b) of regulation 16, shall satisfy the trustees within a period of six months from the date of withdrawal that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn:

Provided that where a portion of the money withdrawn is not likely to be spent within the said period and the member desires to withdraw any further sum of money from the Fund during the period of six months immediately following the said period, he shall so fix the amount purposed to be withdrawn during the period of six months immediately following the said period as to take into account this excess amount and submit an application in writing to the trustees in that behalf within one month of the expiry of the said period:

Provided further that such excess amount shall not exceed 10% of the amount utilised.

C. Any sum withdrawn by a member under clause (c) of regulation 16 shall not exceed -

(1) (a) six months' salary; or

(b) half the amount of his own subscriptions with interest thereon standing to his credit in the Fund; whichever is less:

Provided that in special cases, the trustees may relax the limit specified in clause (a) but in no case shall the amount withdrawn exceed 10 months' salary.

(2) Withdrawal by a member under clause (c) of regulation 16 shall not be permitted before three months preceding the month in which the marriage actually takes place.

(3) The member shall furnish a certificate to the trustees within a period of one month from the date of marriage or if he is on leave, within one month of return from leave, that the money withdrawn has actually been utilised for the purpose for which it was intended.

Explanation.—If two or more marriages are celebrated simultaneously the amount admissible under sub-regulation (1) or sub-regulation (2) in respect of each marriage shall be determined as if withdrawals are sanctioned separately one after the other.

D. Any sum withdrawn by a member under clause (d) of regulation 16 shall not exceed -

(1) (a) three months' salary; or

(b) half the amount of his own subscriptions with interest thereon standing to his credit in the Fund; whichever is less:

Provided that in special cases, the trustees may relax the limit specified in clause (a) but in no case shall the amount exceed six months' salary.

(2) Withdrawal by a member under clause (c) or (d) of regulation 16 shall not be permitted before three months preceding the month in which the marriage actually takes place.

(3) The member shall furnish a certificate to the trustees within a period of one month from the date of marriage or if he is on leave, within one month of return from leave, that the money withdrawn has actually been utilised for the purpose for which it was intended.

Explanation : If two or more marriages are celebrated simultaneously the amount admissible under regulation 17C or regulation 17D in respect of each marriage shall be determined as if withdrawals are sanctioned separately one after the other.

E. Any sum withdrawn by a member under clause (e) of regulation 16 shall not exceed -

(1) (a) an amount of one thousand five hundred rupees or half the amount of his own subscriptions with interest thereon standing to his credit in the Fund whichever amount is higher but in no case exceeding the full amount of his own contributions with interest thereon standing to his credit in the Fund; or

(b) the actual cost of the house and the site; whichever is less.

(2) Withdrawal by a member under clause (e) of regulation 16 shall be permitted only once during the service.

### **18. Grounds for permission for withdrawal.—**

A.(1) The withdrawal shall not be permitted for any purpose specified in clause(a) of regulation 16 unless the trustees are satisfied that—

(a) the member does not own a house at the place of his duty or at the place where he intends to reside after retirement and that only one house shall be built, acquired, or redeemed by the member at such place;

(b) the sum which he proposes to withdraw is actually required for the purpose;

(c) such sum together with the private savings, if any, of the member would be sufficient for that purpose;

(2) In the case of withdrawal for the construction of a house—

(i) the member possesses or intends to acquire forthwith the right to build it on the site therefor;

(ii) the member has an approved plan.

(3) In the case of withdrawal for the acquisition of a house the vendor has an indefeasible and clear title to the land and house which he agrees to sell to the member;

(4) In the case of withdrawal for the purpose of repayment of loan, the member has produced necessary deeds and papers before the trustees proving his undisputed title to the land and the house thereon.

(5) The construction shall commence within six months from the date of withdrawal of the money and shall be completed within a period of one year from the date of commencement of construction or such longer period as the trustees may prescribe in any individual case where the commencement or completion of the structure is likely to be delayed owing to reasons beyond the control of the member.

(6) The house shall be purchased or redeemed within three months from the date of withdrawal.

(7) In the case of withdrawal under clause (a) of regulation 16 for re-payment of loan, the loan shall be repaid within three months of withdrawal.

B. (1) The withdrawal shall not be permitted for any purpose specified in clause (e) of regulation 16 unless the trustees are satisfied that—

(a) the member does not own a house at the place of his duty or at the place where he intends to reside after retirement and that only one house shall be built, acquired, or redeemed by the member at such place;

(b) the sum which he proposes to withdraw is actually required for the purpose;

(c) such sum together with the private savings, if any, of the member would be sufficient for that purpose;

(2) In the case of withdrawal for the construction of a house—

(i) the member possesses or intends to acquire forthwith the right to build it on the site therefor;

(ii) the member has an approved plan.

(3) In the case of withdrawal for the acquisition of a house the vendor has an indefeasible and clear title to the land and house which he agrees to sell to the member;

(4) In the case of withdrawal for the purpose of re-payment of loan, the member has produced necessary deeds and papers before the trustees proving his undisputed title to the land and the house thereon.

(5) The construction shall commence within six months from the date of withdrawal of the money and shall be completed within a period of one year from the date of commencement of construction or such longer period as the trustees may prescribe in any individual case where the commencement or completion of the structure is likely to be delayed owing to reasons beyond the control of the member.

(6) The house shall be purchased or redeemed within three months from the date of withdrawal.

(7) In the case of withdrawal under clause (e) of regulation 16 for re-payment of loan, the loan shall be repaid within three months of withdrawal.

**19. Documentary Evidence.**— A member who has been permitted under clause (a) or clause (e) of regulation 16 to withdraw money from the Fund shall satisfy the trustees, if called upon to do so, by the production of tax receipts, title deeds or documents that the house remains in his sole ownership and that he has not parted with the possession thereof, by way of sale, mortgage, gift, or lease for a term exceeding three years without the previous permission of the trustees.

**20. Refund of excess withdrawal.**— (1) If any sum withdrawn by a member under regulation 17 is found to be in excess of that actually spent for the purpose for which the sum was withdrawn or is not applied for such purpose, the excess or the whole of such sum or so much thereof which has not been so applied, shall forthwith be repaid by him into the Fund, together with interest thereon at the rate specified under regulation 11 in respect of his balance in the Fund.

(2) In default of the payment referred to in sub-regulation (1), the trustees shall request the Bank to recover the amount from the salary and allowances of the member either in a lump sum or in such number of monthly instalments as may be determined by them and the amount so recovered shall be credited to the account of the member in the Fund:

Provided that the entire sum withdrawn shall be repaid into the Fund in the manner specified above if a member fails to comply with the provisions of regulation 17, 18 or 19 as may be relevant in the circumstances of the case.

**21. In the event of dismissal from service.**— If any member shall be dismissed from the service of the Bank for any fault or other cause justifying dismissal, he shall not be entitled to receive, unless permitted to do so by the trustees, the sums contributed by the Bank to his provident fund account, or any interest credited to that account on the sums so contributed:

Provided that when any member is so dismissed, any amount due under a liability incurred by the member to the Bank (not exceeding in any case the sums so contributed by the Bank and interest thereon) shall be paid by the trustees to the Bank out of the sum standing to the credit of the member's account.

**22. Forfeiture.**—(1) If, on any member ceasing to be a member of the Fund for any reason whatsoever, he, or if he be dead, his nominee, dependents or representatives as per these Regulations is/are not entitled to payment of any sum standing to the credit of his separate account in the Fund, any such sum shall, unless dealt with within the discretion of the trustees as in these regulations provided, be forfeited to the Fund.

(2) Any sums which may accrue to the Fund by reason of any forfeiture shall be credited to a separate account and be disposed of for the benefit of the staff in such manner as the trustees may decide:

Provided, however, that the trustees may, at their absolute discretion, waive any forfeiture and credit the amount thereof to the account of a member who may rejoin the Bank's service after having left it for any reason whatsoever.

**23. Resignation or Retirement from the services** – When a member resigns or retires from the service of the Bank he

shall, if he has served the Bank for a period of five years or more, be entitled to receive the balance at his credit in the Fund. Provided that when any member resigning or retiring from the service of the Bank is under a liability incurred by him to the Bank, the trustees shall, irrespective of the duration of his service, pay to the Bank out of the balance at his credit in the Fund any amount due by him to the Bank (not exceeding in any case the sums contributed by the bank to his account in the Fund and any interest credited to his account on the sums so contributed).

**24. Cessation of service**— If any member shall cease to serve the Bank before completion of a service of five years with the Bank, he shall be entitled to receive only the amount of his own subscriptions to the Fund with the interest credited thereon to the date of his severing his connection with the Bank.

**25. Eligibility to receive payment of any share of the contribution of the Bank to the Fund.**— No member shall be entitled to receive payment of any share of the contribution of the Bank to the Fund until he shall have served the Bank for a period of five years notwithstanding that a share thereof may have been credited to his account in the books of the Fund, but the trustees may in their absolute discretion authorise such payment if a member is compelled to retire before completing five years' service owing to any cause beyond his control.

**26. Nomination.**—(1) Each member shall nominate in Form A annexed to these regulations one or more persons belonging to his family to whom the amount standing at his credit in the Fund shall be payable in the event of his death.

(2) A member who has no family shall nominate a person or persons in Form B annexed to these regulations, provided that such nomination shall be valid only for so long as the member has no family and that if a member subsequently acquires a family, he shall formally cancel the previous nomination and nominate in Form A one or more persons belonging to his family.

(3) A member may in his nomination distribute the amount that may stand to his credit in the Fund amongst his nominees at his own discretion.

(4) A nomination may be cancelled by a member and replaced by any nomination which is permitted to be made under this regulation.

(5) No nomination or notice of cancellation shall be effective unless it has been received in the Central Accounts Office of the Bank while the member is still in the service of the Bank and has been registered in the books of the Fund.

**Explanation.**—For the purposes of this regulation, “family” means the wife or wives, or husband, and children of a member, and the widow or widows and children of a deceased son of a member:

Provided that if a member proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance, she shall no longer be deemed to be a person belonging to the family unless the member subsequently indicates by express notification in writing to the trustees that she shall continue to be so regarded:

Provided further that if a member by notification in writing to the trustees expresses her desire to exclude her husband from the family, the husband shall no longer be deemed to be a person belonging to the family unless the member subsequently cancels formally in writing her notification excluding him:

Provided also that in cases where adoption is recognised by the personal law governing the member, an adopted child shall be considered as a child.

**27. Settlement after death of member.**— Subject to the provisions of clause (e) of sub-regulation (2) of this regulation, on the death of a member, the full amount standing to his credit in the Fund irrespective of the period for which the member may have served shall become payable as under --

(1) When a member leaves family—

(a) If a nomination made by the member in accordance with these regulations in favour of a person or persons belonging to his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to the nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

(b) If no such nomination in favour of a person or persons belonging to the family of the member subsists or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a person or persons belonging to his family become payable to the persons belonging to his family in equal shares:

Provided that no share shall be payable to —

(i) sons who have attained legal majority;

(ii) sons of a deceased son who have attained legal majority;

(iii) married daughters whose husbands are alive;

(iv) married daughters of a deceased sons whose husbands are alive:

if there is any person belonging to the family other than those specified in items (i), (ii), (iii) and (iv):

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the member and if, in a case where had he survived the member, he would have been excluded from a share under item (i) of the first proviso, he had not been so excluded.

(2) When the member leaves no family -

(a) if a nomination made by the member in accordance with these regulation in favour of any person or persons who is or are a dependant or dependants of the member, subsist, the amount standing to his credit in the Fund or, as the case may be, the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

(b) If any such nomination subsists in favour of any person who is not a dependant, the amount standing to his credit in the Fund or, as the case may be, the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to such nominee if the amount does not exceed five thousand rupees;

(c) if no such nomination subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to the credit of the member in the Fund, the whole or, as the case may be, the part thereof to which the nomination does not relate, shall become payable to any person appearing to the trustees to be otherwise entitled to receive it, if the whole sum or, as the case may be, the part thereof, does not exceed five thousand rupees;

(d) any sum or any part thereof which is not payable to any person under sub-clause (a) or sub-clause (b) or sub-clause (c), shall become payable to any person on production of probate, letters of administration or a succession certificate in accordance with the provisions of section 4 of the Provident Funds Act, 1925.

Note : When a nominee or other person is a dependant of the member, the amount payable to such nominee or other person under these regulation vests in the dependant under sub-section (2) of section 3 of the Provident Fund Act, 1925.

Explanation.— For the purposes of this regulation, “Dependant” means a dependant of the member as defined in clause (c) of section 2 of the Provident Funds Act, 1925.

(e) Notwithstanding anything contained in this regulation, on the death of a member, who is under a liability incurred by him to the Bank, the trustees may pay to the Bank out of the balance at his credit in the Fund any sum due by him to the Bank (not exceeding in any case the sums contributed by the Bank to his account in the Fund and any interest credited to his account on the sums so contributed) before making payment under this regulation.

**28. Cessation of Interest.**- Interest on all monies standing in the books of the Fund to the credit of a member shall cease on the day he leaves the service of the Bank or the day on which he dies, whichever event shall first happen.

**29. Disqualification for Claim.**- Except as is by the Provident Funds Act, or by these regulation expressly provided, no member or any person or persons claiming under or through him shall be entitled to claim payment of any money out of the Fund.

**30. Advances to beneficiary of a deceased member.**— The trustees may make advances to the beneficiary or beneficiaries of a deceased member’s interest in the Fund, where such beneficiaries or any of them are in indigent circumstances, in anticipation of the grant of the probate of the will or letters of administration or other certificate of representation or title to the estate of the deceased, in order to meet funeral or other expenses.

**31. Option of withdrawal in the event of leave preparatory to retirement.**— Members on leave preparatory to retirement may at their option withdraw up to 90 per cent. of the balances at their credit in the Fund, but if the member does not eventually retire, the full amount withdrawn must be refunded as a condition of continued employment.

**32. Liability of Trustees.**— No trustee shall be responsible and chargeable, save and except for monies actually received by him, notwithstanding his having signed any receipt for the sake of conformity or otherwise, nor shall he be responsible or chargeable for the acts, defaults or neglects of the Bank with whom the monies of the Fund are deposited, nor for any loss unless the same happens through his own wilful act or omission.

**33. Closure of the Fund.**— If the Bank shall, with the approval of the Central Government, give the trustees notice in writing that it does not intend to make any further contributions to the Fund, the Fund shall be closed and in the event of such closure, the Fund shall be divided amongst the members by payment to each member of such sum as may be standing at credit of such member at the time of such division as aforesaid.



**34. Decisions of the Trustees.**— The decision of the trustees shall be final and binding upon members in all respects and upon all matters, questions and disputes relating to or connected with the interpretation of these regulations or with the Fund or the administration thereof.

**35. Extension of the regulation.**— Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2) of regulation 7, these regulations may be extended by the Central Board to apply to employees engaged in any country outside India and appointed for service in such country to such extent, for such period and subject to such conditions and modifications as the Central Board may deem fit and in respect of such employees as are engaged in Pakistan, Ceylon or the United Kingdom and as are not members of the Imperial Bank of India Employees' Provident Fund or the State Bank of India (Ceylon) Employees' Provident Fund, these regulations shall be deemed to have been so extended by the Central Board until separate Provident Funds are constituted in respect of those employees subject to the modification that in the case of a member in the London Office of the Bank, the rate of subscription provided in sub-regulation (1) of regulation 8 shall be at five percent, irrespective of the salary drawn by him.

**36. Declaration.**— Every employee when joining the Fund shall submit a declaration in the following form :-

FORM

I hereby declare that I have read and understood the regulations of the State Bank of India Employees' Provident Fund and I hereby subscribe and agree to be bound by the said regulations.

Dated ..... day of ..... 20.....

Name in full .....

Date of birth .....

Nature of appointment .....

Date of joining service .....

Date of confirmation .....

Salary per month .....

(Signature).....

Witness .....

Index No. ....

Designation .....

Address .....

Particulars found correct and signature verified.

Office Manager/ Branch Manager/ Dy. General Manager.

**37. Saving Clause.**— *All the actions taken and anything done under and as per the provisions of State Bank of India Employees' Provident Fund Rules-1955 shall remain valid and binding on the concerned parties. The supersession of the said State Bank of India Employees' Provident Fund Rules-1955 by these regulations shall not affect the validity of various decisions/actions taken pursuant to the said rules.*

**EXPLANATORY MEMORANDUM**

The State Bank of India Employees' Provident Fund Rules were framed after consultation with the Reserve Bank of India and previous sanction of Central Government contained in File No. F.8/80/66\_SB dated 23<sup>rd</sup> September, 1964 under the provisions of section 50 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955). As per regulation 11 of the proposed regulations, the Trustees of the Fund can invest the Fund in securities approved under rule 67 of Income-tax Rules 1962. The amended regulation is being given retrospective effect and shall be deemed to have come into force on the 11<sup>th</sup> August, 2011.

2. It is certified that no person shall be adversely affected by giving retrospective effect to these regulations.

SHAILESH VERMA, Chief General Manager (HR)

[ADVT-III/4/Exty./39/15]

PROVIDENT FUND FORM A

(Form of Nomination when member has a family)

Index No. ....

Member's Name .....

(In block capitals)

(place).....

(Date).....

To,

THE TRUSTEES OF THE STATE BANK OF INDIA

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND,

(Through the.....,

STATE BANK OF INDIA,

.....)

GENTLEMEN,

I hereby direct that the amount payable to me from the State bank of India Employees' Provident Fund at the time of my death shall be distributed among the members of my family mentioned below in the manner shown against their names:-

Name and address of the nominee or nominees	Relationship with the member	Age of the nominee	Amount or share of accumulations
1	2	3	4

Without prejudice to my right under sub-regulation (4) of regulation 26 of the State Bank of India Employees' Provident Fund Regulation to cancel the nomination made by me whenever I think fit, I hereby give notice that in the event of the Person/ any of the persons nominated thereunder predeceasing me, this nomination shall forthwith stand cancelled, in so far as it relates to the rights conferred upon such person/ any of the persons.

I am,

Yours faithfully,

-----  
(Signature)

Witness:

(1) Signature.....

Name .....

Designation.....

Address.....

(2) Signature.....

Name .....

Designation.....

Address.....

Member's signature verified by me

-----

Branch Manager/ Dy. General Manager

Note: Column 4 may be filled in so as to cover the whole amount at credit.

C.O.S. 434

## PROVIDENT FUND FORM B

(Form of Nomination when member has no family)

Index No .....

Member's Name .....

(In block capitals)

(place).....

(Date).....

To,

THE TRUSTEES OF THE STATE BANK OF INDIA

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND,

(Through the.....,

STATE BANK OF INDIA,

.....)

GENTLEMEN,

I hereby declare that I have no family and direct that the amount payable to me from the State bank of India Employees' Provident Fund at the time of my death shall, in the event of my having no family, be distributed among persons mentioned below in the manner shown against their names:-

Name and address of the nominee or nominees	Relationship if any with the member	Age of the nominee	Amount or share of accumulations
1	2	3	4

Without prejudice to my right under sub-regulation (4) of regulation 26 of the State Bank of India Employees' Provident Fund Regulations to cancel the nomination made by me whenever I think fit, I hereby give notice that in the event of the Person/ any of the persons nominated thereunder predeceasing me, this nomination shall forthwith stand cancelled, in so far as it relates to the rights conferred upon such person/ any of such persons.

I am,

Yours faithfully,

-----  
(Signature)

Witness:

(1) Signature.....

Name .....

Designation.....

Address.....

(2) Signature.....

Name .....

Designation.....

Address.....

Member's signature verified by

me-----

Branch Manager/ Dy. General Manager

Note: Column 4 may be filled in so as to cover the whole amount at credit.

C.O.S. 435